

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

चिंडी, कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीन, जयपुर

फोन नं: 0141-2228061-62, फैक्ट्स नं: 0141-2228065

CIN: U24232RJ2011SGC035067

क्रमांक : एफ.9 ()/आरएमएससी/भण्डार/सफाई/2016-17 / ८०६

दिनांक: 20/07/2016

ई-मेल :rmsc@nic.in
Website : www.rmsc.nic.in

आयुक्त

जन सम्पर्क निदेशालय

राजस्थान, जयपुर।

विषय :- सफाई कार्य की निविदा सूचना प्रकाशित करने के क्रम में।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निविदा सूचना प्रेषित कर अनुरोध है कि निविदा सूचना एक लेखीय/राज्य स्तरीय समाचार पत्र में शीघ्र प्रकाशित करने का श्रम करें।

संलग्न: निविदा सूचना एवं सी.डी. में।


प्रबंध निदेशक

क्रमांक : एफ.9 ()/आरएमएससी/भण्डार/सफाई/2016-17 /
प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:

- श्री विक्रम सिंह सांखला, एजीएम (आईटी) आरएमएससी को प्रेषित कर लेख है कि निगम की वेबसाइट www.rmsc.nic.in एवं <http://sppp.raj.nic.in> पर upload करवाना सुनिश्चित कराएँ।
- प्रभारी अधिकारी, जिता औषधि भण्डार गृह, राजस्थान (समर्त)।
- नोटेस बोर्ड कार्यालय होजा।
- रक्षित पत्रावली।


कार्यकारी निदेशक (उ.नि.)

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजिस्ट्रेशन नं. : गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं. : 0141-2228061-62, फैक्स नं. : 0141-2228065

CIN: U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल : rmsc@nic.in

Website : www.rmsc.nic.in

फ्रांक : एफ.9 ()/आरएमएससी/भण्डार/सफाई/2016-17/ ४०५

दिनांक: 20/07/2016

निविदा सूचना

गाँधी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर स्थित आरएमएससी कार्यालय परिसर के समृद्ध क्षेत्र में सफाई के आधुनिक उपकरणों सहित संविदा पर जॉब बोसिस पर वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के (01.09.2016 से 31.03.2018) 19 माह के लिए सफाई कार्य सेवा हेतु इस क्षेत्र में कार्य करने वाली फर्मों/संस्थाओं से सीलबन्द लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते आरएमएससी कार्यालय से निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क ₹ 500/-का प्रबन्ध निवेशक, आरएमएससी, जयपुर के नाम डीडी/बैंकर चैक भिजवाकर दिनांक 10.08.2016 दोपहर 3.00 बजे तक प्राप्त एवं जमा किए जा सकते हैं तथा निगम की वेब-साईट <http://www.rmsc.nic.in/> से डाउनलोड किया जा सकता है जिसकी निविदा शुल्क की राशि ₹ 500/- निविदा प्रपत्र जमा कराते समय निगम में आवश्यक रूप से जमा कराई जाए। निविदाएँ दिनांक 10.08.2016 साथ 5.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समझ खोली जाएगी। कार्यालय परिसर का अवलोकन कार्यालय समय 9.30 से 6.00 बजे तक किया जा सकता है।

कार्यकारी निवेशक (मुनि.)
२०७१६

अनुमानित लागत: ₹ 7.00 लाख
बोली प्रतिमूलि: ₹ 14000.00
अंतिम तिथि: 10.08.2016

निविदा – प्रपत्र 'आ' तकनीकी निविदा

कार्य का नाम:- वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के (01.09.2016 से 31.03.2018)

19 माह हेतु आरएमएससी कार्यालय में सफाई कार्य

1. निविदादाता फर्म का नाम ए पूर्ण पता:—
.....
2. निविदा सूचना क्रमांक दिनांक
3. निविदा शुल्क राशि ₹ 500/- – जमा कराने का विवरण:—
डी.डी / बैंकर चैक संख्या दिनांक
4. निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 10.08.2016 समय दोपहर 3.00 बजे तक।
निविदा खोले जाने की दिनांक 10.08.2016 समय साथ 5.00 बजे
5. अमानत राशि ₹ 14,000/- – जमा कराने का विवरण:—
डी.डी / बैंकर चैक सं० दिनांक
6. श्रम विभाग में पंजीयन क्रमांक.....
7. कार्य अनुभव का विवरण:—
.....

मुझे इस निविदा प्रपत्र के साथ सलाना समस्त शर्तें मंजूर हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
निविदादाता का नाम
एवं पूर्ण पता

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन कार्यालय के समूह क्षेत्र में सफाई कार्य के

लिए निविदा की शर्ते एवं नियम

निविदादाता को निम्नलिखित शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए :-

(अ) निविदादाता की पात्रता (Eligibility Criteria) जो अनिवार्य है एवं जिनके अभाव में निविदा निरस्त मानी जा सकेगी- निम्न प्रकार है:-

1. निविदादाता फर्म श्रम विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए तथा निविदा प्रपत्र के साथ पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी अनिवार्य है।
 2. निविदादाता फर्म एफ. एफ. विभाग एवं ई.एस.आई. विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए तथा निविदा प्रपत्र के साथ सम्बन्धित पंजीयन प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न की जानी अनिवार्य है।
 3. निविदादाता फर्म ISO Certified होनी चाहिए।
 4. निविदादाता फर्म को चिकित्सालय, राजकीय, अर्द्धशासकीय भवनों, बड़ुमंजिला इमारतों, शौचिंग मॉल, होटल या संस्थागत भवन में कम से कम 20,000 वर्ग फीट क्षेत्र का संतोषप्रद सफाई कार्य करने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। निविदा के साथ अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
 5. निविदादाता फर्म का गत तीन वर्ष की अवधि में कम से कम औसत ₹ 4.00 लाख प्रति वर्ष का टर्न ओवर होना आवश्यक है। पुष्टि के लिए गत तीन वर्ष के टर्न ओवर का चार्टेड अकाउन्टेन्ट (सनदी लेखाकार) का प्रमाण पत्र या अन्य सम्बन्धित साक्ष्य निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
 6. निविदादाता को अमानत (बयान) चार्ष के रूप में ₹ 14,000.00 (अक्षरे ₹ चौदह हजार मात्र) का डिमाइड झापट / बैंकर चैक जो प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर के नाम हो, निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- उक्त पात्रता पूरी करने वाले योग्य निविदादाता ही तकनीकी निविदा (प्रि-व्यालीफिकेशन) में सफल माने जाएँगे तथा उन्हीं की वित्तीय निविदा खोली जाएगी। तकनीकी निविदा (प्रि-व्यालीफिकेशन) में योग्य नहीं पाए जाने वाले निविदादाताओं को वित्तीय निविदा नहीं खोली जा सकेगी।

(b) निविदा लिफाफे एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का तरीका :-

1. निविदादाता द्वारा निविदाएँ दो अलग- अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जाएगी। प्रथम लिफाफा प्रपत्र 'अ' तकनीकी निविदा (प्रि-बालीफिकेशन) तथा दूसरा लिफाफा प्रपत्र 'ब' वित्तीय निविदा के लिए होगा।
2. निविदादाता को निविदा सूचना में दिए गए निर्दशों के अनुसार उचित लिफाफे में निविदा प्रस्तुत करनी होगी तथा लिफाफों के ऊपर तकनीकी निविदा या वित्तीय निविदा स्पष्ट रूप से उल्लेखित करनी होगी।
3. प्रथम लिफाफे में निम्न प्रपत्र रखे जाएँगे :-
 - I. प्रपत्र 'अ' तकनीकी निविदा
 - II. अनुभाव प्रमाण पत्र
 - III. टर्न ओवर का चार्टड अकाउन्टेन्ट (सनदी लेखाकार) का प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित साक्ष्य
- IV. बोली प्रतिमूलि ₹ 14,000/- का डिमांड झापट /बैंकर चैक
(बोली प्रतिमूलि के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा)
- V. मूल निविदा प्रपत्र एवं शर्त पारिशेष्ट-ए जिसके प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर हो।
- VI. श्रम विभाग, पी.एफ. विभाग एवं ई.एस.आई. विभाग के पंजीयन प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।
- VII. सफाई उपकरणों एवं सामग्री का विवरण।
4. दूसरे लिफाफे में केवल वित्तीय निविदा (प्रपत्र 'ब') होगी जिसमें निविदादाता को अपनी मासिक दर अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। शब्दों एवं अंकों में उल्लेखित राशि में अन्तर होने पर दोनों में से जो राशि कम होगी उस पर विचार किया जाएगा।
5. दोनों लिफाफे एक बड़े तीसरे लिफाफे में बन्द कर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मोडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर के कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक 'प्रस्तुत/प्रेषित करने होंगे। लिफाफे के ऊपर राजस्थान मोडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन कार्यालय भवन के समूर्ण क्षेत्र के सफाई कार्य हेतु निविदा स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

(स) कार्य सम्बन्धित विवरण एवं शर्तेः—

- निविदादाता को सफाई के लिए निम्नांकित उपकरणों एवं सफाई की समग्री का उपयोग करना होगा :—

क्र. सं.	नाम उपकरण	चूनतम मात्रा
1	वेट एण्ड ड्राई रक्कबर	01
2	कॉमर्सियल वैच्युम क्लीनर	01
3	इन्सेक्टीसाइड स्प्रे मशीन	01
4	हाई प्रेशर टॉयलेट विलनिंग मशीन	01

क्र. सं.	नाम उपकरण	चूनतम मात्रा
	सामग्री का विवरण जो सफाई में उपयोग होगी	
1	लिकिवड सोप	आवश्यकतानुसार
2	एसिड	आवश्यकतानुसार
3	हारपिक	आवश्यकतानुसार
4	टॉयलेट साफ करने के लिए ब्रुश	आवश्यकतानुसार
5	जूना	आवश्यकतानुसार
6	पोचा / सन, पोचा कोटन	आवश्यकतानुसार
7	जोन साफ करने का बौस	आवश्यकतानुसार
8	फिनायल	आवश्यकतानुसार
9	झाड़	आवश्यकतानुसार
10	फिनायल की गोलियां	आवश्यकतानुसार
11	ओडोनिल	आवश्यकतानुसार
12	रुम स्प्रे	आवश्यकतानुसार
13	ब्रासो	आवश्यकतानुसार
14	कोलिन	आवश्यकतानुसार
15	फिनीट	आवश्यकतानुसार
16	अन्य सामग्री	आवश्यकतानुसार

2. राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन भवन के तीनों तल सहित समस्त गलियारों (Corridors) एवं प्रथम तल बैगेमेट व आस-पास के क्षेत्र की सफाई करनी होगी। इसमें से तीनों तल के गलियारों व कमरों में लगभग (20,000–22,000 वर्गफीट क्षेत्रफल) प्रतिदिन तीन बार सफाई करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए आरएमएससी कार्यालय समय में मौका स्थिति का मुआयना किया जा सकता है तथा कार्यकारी निदेशक (गुनि) से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सफाई Sweepers द्वारा की जाएगी।
3. राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन भवन के समस्त कमरों की सफाई दिन में दो बार करनी होगी।
4. राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन भवन के समस्त शौचालयों, मूत्रालयों, स्नानघरों एवं वाशवेसिनों तथा सिंकों की सफाई एवं झुलाई फिनायल से दिन में तीन बार करवानी होगी। सभी शौचालयों, मूत्रालयों एवं वाशवेसिनों में फिनायल की गोलियां हर समय उपलब्ध करानी होगी। समय-समय पर निविदादाता को ऑडोनिल का प्रयोग करना होगा। साथ ही निगम प्रशासन द्वारा निर्देशित स्थानों पर सुगम्भित द्रव्यों को इस्तेमाल भी करना होगा।
5. निविदादाता को समस्त, सफाईकर्मी, सफाई में प्रयुक्त होने वाला सामान एवं उपकरण अपने स्तर से आपूर्ति करने होंगे एवं जिसकी निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इन पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता अपने स्तर से वहन करेगा तथा निगम द्वारा अनुमोदित दरों के अलावा अन्य किसी प्रकार का भुगतान निविदादाता को नहीं किया जाएगा।
6. सफाई के कार्य क्षेत्र का निरीक्षण कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को किया जा सकता है।
7. राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन भवन के सम्पूर्ण क्षेत्र (तीनों तलों सहित) के सफाई कार्य को कम से कम 07 सफाई श्रमिकों से सम्पादित करना होगा।
8. सफाई से एकत्रित कचरे को कचरा डिपों पर रखयं की कचरा गाड़ी के द्वारा पहुँचाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

(द) सामान्य नियम एवं शर्तेः—

1. अनुबन्ध की अवधि कार्यादेश स्वीकृति की तिथि से 31.03.2018 तक के लिए मात्र होगी। निविदादाता का कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 29(2)(ज) के अनुसार दर संविदा में अधिकतम 03 माह के लिए अभिवृद्धि की जा सकती है।
2. अनुबन्ध अनुमोदन होने पर अनुबन्धकर्ता द्वारा ₹ 500/- के नीचे ज्यूडिशियल स्टाम्प पर पर 03 दिवस की अवधि में अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा जिसका समर्पण व्यय अनुबन्धकर्ता द्वारा चहन किया जाएगा। सफल निविदादाता को अनुबन्ध की राशि की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में डी.डी./बैंकर चैक प्रस्तुत करनी होगी। धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित किया जा सकेगा। नियम द्वारा प्रतिभूति राशि पर फर्म को कोई व्याज नहीं दिया जाएगा।
3. निविदादाता के किसी कर्मकार द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने/अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाए जाने अथवा अनपेक्षित आवरण करने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य किसी माध्यम से नियम के ध्यान में आने पर यदि नियम प्रशासन उस कर्मकार को हटाने के निर्देश अनुबन्धकर्ता को देता है तो अनुबन्धकर्ता द्वारा उस कर्मकार को तुरन्त हटाना होगा।
4. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह अनुबन्धकर्ता स्वयं के खर्च पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। अनुबन्धकर्ता को अपने कर्मकारों के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकार्ड को तैयार करने एवं तड़परान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
5. श्रम विधि नियम उपनियम व अधिसूचनाओं आदि में दिए गए दिशा निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा। श्रम विधि नियम, उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये अनुबन्धकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा। अनुबन्धकर्ता को श्रम विधि नियम, उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं शासिक हित में जारी किये गए संशोधनों की पालना करने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा। पालना नहीं करने की स्थिति में प्रबन्ध निरेशक को अनुबन्ध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. यदि अनुबन्धकर्ता के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यवित होकर कोई कर्मकार न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्रवाही करता है और इसमें नियम प्रशासन को भी पक्षकार बनाता है तो नियम पर पड़ने वाला समस्त आर्थिक भार अनुबन्धकर्ता से वसूला जाएगा।

7. यदि अनुबन्धकर्ता/निविदादाता एवं उनके सफाई श्रमिकों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इस संबंध में निगम प्रशासन का कोई दायित्व नहीं होगा। नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में निहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस बेतान, छेँटनी, मुआवजा आदि देने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा।

8. अनुबन्धकर्ता द्वारा सफाई कार्य हेतु आपूर्ति किये जाने वाले श्रमिकों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरांत मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपां हो जाता है तो उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने की समस्त जिम्मेदारी व दायित्व अनुबन्धकर्ता की होगी। इसके लिए निगम प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

9. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध का संचालन रखने को ही करना होगा। वह किसी अन्य क्षक्ति/संस्था को अनुबन्ध सबलेट नहीं करेगा। सबलेट करने की स्थिति में अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त माना जायेगा।

10. अनुबन्धकर्ता द्वारा सफाई कार्य में लगाए जाने वाले सफाई श्रमिकों की सूची, उनके पासपोर्ट साईंज फोटो सहित प्रस्तुत करनी होगी। इनके आवरण एवं उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए पूर्ण रूप से अनुबन्धकर्ता जिम्मेदार होगा। इन कर्मचारियों के पुलिस केरीफिकेशन कराने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। अनुबन्धकर्ता को अपने कर्मचारियों को वर्दी जिस पर फर्म का नाम अंकित होगा ड्यूटी के दौरान पहननी होगी व पहचान/परिचय पत्र एवं नेम प्लेट उपलब्ध कराने होंगे एवं समस्त कर्मचारियों का ई.एस. आई. कार्ड एक माह की अवधि में उपलब्ध करवाने होंगे। यदि कोई कर्मचारी निरीक्षण के दौरान बिना वर्दी या परिचय पत्र के पाया जाएगा तो प्रतिदिन ₹ 100/- की दर से शास्ति वसूल की जा सकेगी।

11. अनुबन्धकर्ता द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर या उसका कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में अनुबन्धकर्ता को स्पीकृत अनुबन्ध निरस्त कर प्रतिष्ठित राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा।

12. निगम प्रशासन द्वारा अनुबन्ध से संबंधित कोई भी सूचना अनुबन्धकर्ता से कभी भी प्राप्त की जा सकेगी इस हेतु अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध स्थल पर स्वयं की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को नामजद करना होगा जो कि अनुबन्धकर्ता के नाम से जारी पत्रों को प्राप्त करने एवं वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत एवं उत्तरदायी हो। अधिकृत व्यक्ति राउण्ड टॉ क्लॉक संबंधित प्रभारी अधिकारी के संपर्क में रहेगा एवं निगम प्रशासन के द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा।

13. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अनित्य होगा व अनुबन्धकर्ता को मानना होगा।

14. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा।

15. सफाई श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने तथा उनके पी.एफ. व ई.एस.आई. का अंशदान सबविधि विभागों में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।
16. सफाई श्रमिकों के ई.पी.एफ. विभाग में पंजीकृत होने एवं उनके यूनिक आई.डी. नम्बर प्राप्त करने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा।
17. सफाई श्रमिकों के ई.पी.एफ. व ई.एस.आई. विभाग में जमा होने वाले अंशदान की सूचना मासिक / त्रैमासिक आधार पर निगम को उपलब्ध करानी होगी।

(य) भुगतान का तरीका :-

1. अनुबन्धकर्ता को भुगतान निगम से RTGS/NEFT से किया जाएगा।
2. जितने क्षेत्र में सफाई कार्य नहीं होगा उस क्षेत्र की बिल से अनुपातिक कटौती कर भुगतान उतने ही क्षेत्र का किया जाएगा जितने क्षेत्र में कार्य कराया जाएगा।
3. स्त्रोत पर नियमानुसार आयकर / सेवाकर की कटौती की जाएगी।

कार्यकारी निदेशक (गु.नि.)

मैंने / हमने उपर्युक्तानुसार अ से य तक में वर्णित सभी शर्तों को भली-भांति पढ़ एवं समझ लिया है। मैं / हम उपर्युक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता एवं नाम

अनुमानित लागत: ₹ 7.00 लाख
बोली प्रतिमूलि: ₹ 14000.00
अंतिम तिथि: 10.08.2016

निविदा – प्रपत्र ‘ब’ (वित्तीय निविदा)

कार्य का नाम- वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के (01.09.2016 से 31.03.2018)

19 माह हेतु आरएससी कार्यालय में सफाई कार्य

आरएससी कार्यालय सम्पूर्ण क्षेत्र में सफाई कार्य के लिये वित्तीय निविदा।

1. निविदादाता फर्म का नाम व पूर्ण पता:—
.....
.....
.....
2. दूरभाष संख्या मोबाइल नं०
3. सफाई कार्य की मासिक राशि का विवरण (सफाई सामग्री एवं आधुनिक सफाई उपकरणों सहित):—
अंकों में ₹
शब्दों में ₹
- कर यदि कोई हो तो @ % एवं ₹
- कुल राशि ₹

मझे निविदा (तकनीकी बिड) के साथ संलग्न समस्त शर्तें मंजुर हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
निविदादाता का नाम
एवं पूर्ण पता